(5)

IS 15700:2005

सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

संख्या /ए.–7/04 दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम वृत्त, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर परिषद के मा0 अध्यक्ष (म0) के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:–

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	अतिरिक्त प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति की लागत (रू0. लाख मे)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1–	144516	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 व 10 में ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव में स्व वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत 2016 नग (जी+3) अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण कार्य की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	3635.59	633/69

1– मा0 अध्यक्ष (म0) के आदेशान्तर्गत अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्राप्त करनी होगी।

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद मे स्वीकृत की जा रही है, उनका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

4– निर्माण स्व वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत होने के कारण परिषद फण्ड से कोई भी धनराशि उक्त परियोजना पर व्यय नही जायेगी, जिसका शत–प्रतिशत अनुपालन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा भवनों की विक्रयशीलता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

5– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नही किया जा रहा है।

6– खण्ड द्वारा लेबर सेस/सर्विस टैक्स की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।

7– परियोजना का सक्षम स्तर से अनुमोदित ले–आउट प्लान अनुमन्य मृदाधारण क्षमता तथा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– निर्माण लागत से अधिक कोई वृद्धि नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।

9– परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख/पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगें।

10– उक्त परियोजना हेतु पूर्व में आई. डी. संख्या–143180 तथा लेखा शीर्षक संख्या–633/69 के अन्तर्गत कार्यालय आदेश संख्या–3274/ए–7/278 दिनांक 30.08.2013 द्वारा रू0 13957.94 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर उक्त कार्य की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीयं स्वीकृति रु0 3635.59 लाख सम्मिलित करने पर परियोजना की कुल लागत रु0 17593.53 लाख हो जाती है। उक्त परियोजना हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2013–14 में निर्गत लेखा शीर्षक संख्या–633/69 के अन्तर्गत ही वित्त नियंत्रक द्वारा अतिरिक्त धनराशि को आवंटित किया गया है।

(ए0 के0 शुक्ला)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

––2––

(4)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अनियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या 3274 /ए-7/278 दिनांक 30-08-2013

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता सदन वृत्त, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर गृह निर्माण मण्डल की 225वीं बैठक दिनांक 14.08.2013 के मद संख्या–225/3 में उल्लिखित परियोजना के अनुमोदनोपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:–

क्र०सं०	परियोजना आई०डी०सं०	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियो० की कुल लागत (रु० लाख में)	[illegible]
1–	143180	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–7 में ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव स्व–वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत 2016 नग (जी+3) अल्प आय वर्ग भवनों का निर्माण कार्य।	13957.94	[illegible]

1– गृह निर्माण मण्डल द्वारा परियोजना का अनुमोदन निम्न निर्देशों के साथ किया गया है:–
(1) प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के यथासम्भव प्रयास किये जायें।
(2) निर्धारित समयावधि के अन्दर ही भवनों को पूर्ण कराते हुए आवंटियों को भवन हस्तगत करना सुनिश्चित किया जाये।
(3) गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा थर्ड पार्टी से कराये जाने वाली जाँच (चेकिंग) की रिपोर्ट समय–समय पर [illegible] बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये।
(4) कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समय–सारिणी (बार चार्ट) बनायी जाय।
(5) कार्यों की प्रगति की [illegible] को सुनिश्चित करने हेतु परिषद के उच्च अधिकारियों द्वारा [illegible] निरीक्षण कराते हुए समीक्षा की जाय।
2– आवास आयुक्त (म0) द्वारा परियोजना की थर्ड पार्टी क्वालिटी जाँच (चेकिंग) हेतु फर्म Moody International India (P) Limited, 909-914, Kanchanjainga Building 18, Barakhamba Road, CP New Delhi-110001 को नामित किया गया है तथा इस पर होने वाले व्यय परियोजना के कन्टीजेन्सी मद में प्राविधानित धनराशि से किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है।
3– प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति [illegible] पूर्व प्राप्त करनी होगी।
4– उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता/सक्षम स्तर द्वारा स्वीकृत ले–आउट, अनुमन्य [illegible] विशिष्टियों तथा डिटेल्ड वर्किंग ड्राइंग के अनुसार कराया जायेगा।
5– तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
6– परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख/पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई०डी० नम्बर के साथ ही संदर्भित किया जायेगा।
7– विस्तृत प्राक्कलन में ली गई मात्राओं एवं विभिन्न मदों की दरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
8– विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी विभिन्न मदों की दरों/इंजीनियरिंग एप्रीसिएशन को आधार नहीं माना जायेगा। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।
9– प्रस्ताव के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने हेतु 18 माह की अवधि प्रस्तावित की गयी है।

(आर०के०अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

पृ०सं० 3274 /ए-7/278 दिनांक 30.08.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– आवास आयुक्त (म0) के निजी सचिव।
2. मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4– अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)/सदन वृत्त/ अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–18, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
5– विशेष कार्याधिकारी (समन्वय कोष्ठ), उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6– मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

पत्रांक–445/R-1/97 Dt 12-3-14

अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

12/03/14
EE.